प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बारह'

[19/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 932]

परिशिष्ट–'अ'

विधानसभा प्रश्न कमांक 932 अतारांकित द्वारा श्री कुंवर सिंह टेकाम सदस्य विधानसभा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन सामग्री प्राप्त करने हेतु पात्र परिवार

1. अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार।
2. प्राथमिकता श्रेणी के परिवार –

2.1 समस्त बीपीएल परिवार।

2.2 निम्नलिखित श्रेणियों के गैर–बीपीएल व्यक्ति एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य–

क. समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।

ख. ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत हैं एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।

ग. शहरी क्षेत्रों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत साईकिल रिक्शा/हाथ ठेला चालक एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य।

घ. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्य। ।

ङ. अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन।

च. घरेलू कामकाजी महिलाएँ।

छ. फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर)।

ज. वनाधिकार पट्टेधारी।

झ. रेलवे में पंजीकृत कुली।

ञ. मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी।

ट. बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक।

ठ. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक।

ड. समस्त भूमिहीन कोटवार।

ढ. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी।

ण. नगरीय निकायों में पंजीकृत केशशिल्पी तथा ग्रामीण क्षेत्र के केशशिल्पी।

त. पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति।

थ. एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से इस योजना का लाभ लेना चाहते हों)।

द. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार।

ध. मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार।

न. प्रदेश में मत्स्य पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत परिवार/सदस्य।

प. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ऐसे परिवार, जिनकी फसलों के प्राकृतिक आपदा से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

फ. प्रदेश के पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक।

ब. विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के परिवार।

अनुभाग अधिकारी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय

परिशिष्ट-'ब'

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 932 अतारांकित द्वारा श्री कुंवर सिंह टेकाम माननीय सदस्य विधानसभा

अनूसचित जाति/जनजाति एवं अन्य पात्र परिवार जिन्हें अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभ दिया जाना शेष है

जिले का नाम	जनपद पंचायत का नाम	चिन्हांकित किन्तु लाभ न पाने वाले अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या	चिन्हांकित किन्तु लाभ न पाने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या	चिन्हांकित किन्तु लाभ न पाने वाले अन्य परिवारों की संख्या	महायोग
सीधी	कुसमी	6	58	34	98
	मझौली	27	50	181	258
	रामपुर नैकिन	29	59	139	227
	सीधी	81	125	652	858
	सिंहावल	24	33	403	460
	योग	**167**	**325**	**1409**	**1901**
सिंगरौली	चितरंगी	130	440	171	741
	देवसर	0	234	447	681
	बैढ़न	87	163	836	1086
	योग	**217**	**837**	**1454**	**2508**

अनुभाग अधिकारी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय